कौशल विकास संचालनालय मध्यप्रदेश

नर्मदा मार्ग, रामपुर चौराहे के आगे, जबलपुर (म.प्र.)

Ph: +91-761-2661021 | Web: www.mpskills.gov.in | Android App: KOUSHALAM | Facebook: Mapskills | Twitter: Map_Skills

कौशल बलम

-: आदेश :-

/जबलपुर, दिनांक : 29/04/2026

क्रमांक कौविसं./स्थाप–प्र/सामा–249/2026/ 2341 /मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल द्वारा प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारियों के पद के लिये आयोजित लिखित परीक्षा के उपरान्त कर्मचारी चयन मण्डल से प्राप्त मेरिट (चयन) सूची के आधार पर निम्नलिखित चयनित उम्मीदवार को उनके अभिलेखों के परीक्षणोंपरांत एवं पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने की प्रत्याशा में मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी (तकनीकी) सेवा में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर वेतनमान 32800–103600 एवं अन्य भत्ते जो राज्य शासन द्वारा मान्य है, पर तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर उनके द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक के लिए निम्न शर्तो पर नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है :–

1. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3/1/2/2014/2023–जीएडी–आरसी–01 (जीएडी) दिनांक 26 जून 2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा जारी अंतरिम आदेश के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण सीमा 14 प्रतिशत तय की गई है, तदानुसार आदेश जारी किया जा रहा है।
2. परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
3. परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण अधिकारी को डीजीईटी के नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एनएसटीआई) एवं इंस्टीटयूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (आईटॉट) से क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (सीआईटीएस) से एक वर्षीय कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में वेतन वृद्धि एवं उच्च पद पर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। यदि वे उक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो उनकी सेवायें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8(6) के अनुसार नियमित की जाकर उनकी रूकी हुई वेतनवृद्धियां प्राप्त हो जावेगी।
4. शासन द्वारा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण पर भेजे जाने पर कोई उम्मीदवार किन्हीं भी कारणों से प्रशिक्षण पूर्ण न कर बीच में वापिस होता है, तो उस पर शासन द्वारा प्रशिक्षण पर किया गया व्यय वेतन एवं भत्तों सहित वसूली योग्य होगा।
5. परिवीक्षा अवधि में उनकी सेवाऐं कभी भी बिना कारण बताऐ एवं बिना नोटिस दिए समाप्त की जा सकेगी।
6. कार्यग्रहण करने के उपरांत यदि स्वयं की इच्छा से सेवायें छोड़ना चाहते हैं तो एक माह पूर्व नोटिस या एक माह का पूर्ण वेतन देना होगा। इसी तरह यदि विभाग सेवायें समाप्त करता है तो विभाग एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन भुगतान कर सेवायें समाप्त कर सकेगा।
7. कार्यग्रहण के समय जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधित संस्था में प्रस्तुत करना होगा।
8. यदि किसी उम्मीदवार का दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जाति प्रमाण पत्र या नियुक्ति संबंधी अन्य कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से बिना नोटिस दिये समाप्त की जा सकेगी और उसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा।
9. यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। कार्यग्रहण के समय इस हेतु आपको संलग्न प्रारूप पर शपथ पत्र संबंधित संस्था/कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा।
10. उम्मीदवारों की आपसी वरिष्ठता मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 12(1)(क) के अनुसार कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल से प्राप्त चयनित मेरिट सूची अनुसार होगी।

11. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के तहत 01.01.2005 के उपरांत नियुक्त राज्य शासन के कर्मचारियों को अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे तथा म.प्र. सामान्य भविष्य निधि लागू नहीं होंगे।
12. उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के अंदर संबंधित संस्था में कार्यग्रहण करना अनिवार्य है। एक माह की अवधि में उपस्थित न होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

क्र	उम्मीदवार का नाम पिता/पति का नाम एवं पता	पद का नाम प्रशिक्षण अधिकारी (व्यवसाय)	योग्यता डिग्री/डिप्लोमा/आईटीआई	आरक्षित/अनारक्षित	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम जहां पदस्थापना की गई है
1	2	3	4	5	6
1	विकास जैन पिता श्री अशोक जैन मकान नं. 602 लिनिंग टॉवर, कोरल रीफ सोसायटी पिगडंबर राउ इंदौर (मप्र)	कोपा	MCA	अनारक्षित	मानपुर (इंदौर)

Digitally signed by BASANT KURRE
Date: 29-04-2026 14:35:13

संचालक
कौशल विकास मध्यप्रदेश

क्रमांक कौविसं/स्थाप–प्र/सामा–249/2026/ 2342 /जबलपुर, दिनांक 23/04/2026

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निज सचिव, मान. राज्य मंत्रीजी (स्वतंत्र प्रभार), म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार), भोपाल।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, भोपाल।
3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
4. संयुक्त संचालक, कौशल विकास, क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर मध्यप्रदेश।
5. प्राचार्य/संस्था प्रमुख, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मानपुर (इंदौर) म.प्र.। चयनित उम्मीदवार का चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र एवं नियुक्ति आदेश की कंडिका 9 में दर्शाये अनुसार पुलिस चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र एवं अनुप्रमाणन फार्म तीन प्रतियों में पूर्ण रूप से भरवाकर प्राप्त करें और उनके स्थाई/अस्थाई निवास तथा शिक्षा प्राप्त करने के दौरान निवासरत अवधि का पुलिस चरित्र सत्यापन कराये जाने हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक को अनुप्रमाणन फार्म एवं शपथ पत्र भेंजे। पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संचालनालय को मूलतः भेंजे। उम्मीदवार के कार्यग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक, जाति, मूल निवासी एवं अन्य प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्राप्त करें। उम्मीदवार के शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के समस्त सेमेस्टर की अंकसूची की सत्यापित प्रति प्राप्त करें। संबंधित के कार्यग्रहण प्रतिवेदन, व्यक्तिगत विवरण एवं प्रमाण पत्रों की एक–एक प्रमाणित प्रति संचालनालय को भेजें। अनुप्रमाणन फार्म एवं शपथ पत्र का प्रारूप संचालनालय की वेबसाइट www.mpskills.gov.in पर उपलब्ध है।
6. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
7. संबंधित उम्मीदवार को सूचनार्थ। निर्देशित किया जाता है कि आप अपने शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, चिकित्सीय परीक्षण प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं सत्यापित छायाप्रति तथा पुलिस चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म पूर्ण रूप से भरकर शपथ पत्र सहित संबंधित संस्था के प्राचार्य/संस्था प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यग्रहण करें। आपको आदेश जारी होने के एक माह के अंदर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
8. स्टेनो, संचालक/अतिरिक्त संचालक एवं संयुक्त संचालक कौशल विकास संचालनालय म.प्र. जबलपुर।
9. अधीक्षक/स्थापना/गोपनीय/बजट/पदक्रम सूची अनुभाग, कौशल विकास संचालनालय म.प्र. जबलपुर।

संचालक
कौशल विकास मध्यप्रदेश